न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20 / 2024 प्रा.पत्र / 2024	29.04.2024	12.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री अब्दुल रईस निवासी मोहल्ला चूड़ीगरान वार्ड नं0 6 पुरानी टोंक, जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0। पिन कोड–304001 मोबाईल नं0 7737505150
2–मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक जिला टोंक राज0। पिन कोड–304001

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (iv),(v) एवं दण्डनीय धारा 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री अब्दुल कादीर स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 12.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2024 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर प्रोपराईटर की हैसियत से श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री अब्दुल रईस अपने प्रतिष्ठान मैसर्स ए जेड किराणा मर्चेन्ट काफला बाजार टोंक जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिले एवं उनको अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री अब्दुल रईस ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में प्लास्टिक के 2 कट्टों मे लगभग 35 किलोग्राम लाल

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिर्च पावडर (खुला)रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री अब्दुल रईस को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की। जिस पर श्री अब्दुल कादीर पुत्र श्री अब्दुल रईस एव गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर कर तस्दीक किया । दुकान में रखे **लाल मिर्च पावडर (खुला)** के प्लास्टिक के 2 कट्टों मे लगभग 35 किलोग्राम लाल मिर्च पावडर (खुला) में से 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **लाल मिर्च पावडर (खुला)** को अलग–अलग चार प्लास्टिक की साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बें में 500–500 ग्राम **लाल मिर्च पावडर** भरकर डिब्बों के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3940 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3940 नियमानुसार चारों नमूला भागों पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2024 / 262 दिनांक 11.03.2024 विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस. / 522 / एक्ट / 2024 / 653 दिनांक 26.06.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेश (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बधन) नं0 2.3.14.(15) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री अब्दुल कादीर स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नही है मात्र खुले में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रय करने के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **कॉन्ट्रावेन(Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाल मिर्च पावडर (खुला)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा **(iv)**, **(v)** के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 12.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0